



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4180]

नई दिल्ली, बुधवार, अक्टूबर 24, 2018/कार्तिक 2, 1940

No. 4180]

NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 24, 2018/KARTIKA 2, 1940

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 अक्टूबर, 2018

का.आ. 5385(अ).—केन्द्रीय सरकार, कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 1 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 24 अक्टूबर, 2018 को वह तारीख नियत करती है, जिस तारीख को उक्त अधिनियम की धारा 132 की उपधाराएं (2), (4), (5), (10), (13), (14) और (15) प्रवृत्त होंगी।

[फा. सं. 1/4/2016-सीएल-I]

के. वी. आर. मूर्ति, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th October, 2018

S.O. 5385(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 1 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013), the Central Government hereby appoints the 24th October, 2018 as the date on which the sub-sections (2), (4), (5), (10), (13), (14) and (15) of section 132 of the said Act shall come into force.

[F. No. 1/4/2016-CL-I]

K.V. R. MURTY, Jt. Secy.